प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,उ0प्र0,
रोजगार भवन, गुरू गोबिन्द सिंह मार्ग,

पत्रांक:        /तीन/वि0-4/भूमि/पी0पी0पी0-KPMG/2019-20,
लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2021

## कार्यालय-आदेश

प्रदेश के नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के अनुपालन में अगस्त, 2021 के प्रशिक्षण सत्र से संचालित किये जाने वाले संस्थानों में व्यवसायवार गैर-राजकीय प्रशिक्षण शुल्क पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2276/89-व्या0शि0एवंकौ0वि0वि0-2021-26(टी)/2010, दिनांक 16 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

उक्तानुसार अगस्त, 2021 के प्रशिक्षण सत्र हेतु राजकीय व गैर-राजकीय प्रशिक्षण शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

| | |
|---|---|
| 1 | राजकीय शुल्क की प्रशिक्षण सीटों पर प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों से रु0 40.00 प्रति माह (समस्त व्यवसायों हेतु) की दर से प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति वर्ग के प्रशिक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। |
| 2 | गैर-राजकीय शुल्क की सीटों पर लिया जाने वाला प्रशिक्षण शुल्क:<br>इन्जीनियरिंग व्यवसायों हेतु: रु0 18,000 प्रति वर्ष<br>नॉन-इन्जीनियरिंग व्यवसायों हेतु: रु0 15,400 प्रति वर्ष |

समस्त प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों से प्रवेश के समय रु0 300.00 (एक बार) की धनराशि कॉशन मनी के रूप में ली जायेगी, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क लिया जायेगा।

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

संलग्न: यथोक्त।

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक।

पत्रांक: 177/तीन/वि0-4/भूमि/पी0पी0पी0-KPMG/2019-20, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0), उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।

18/8/21

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक।

संख्या–2276 / 89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2021–26(टी) / 2010

प्रेषक,

डॉ0 संदीप परमार
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त/जून, 2021

**विषय:– निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क का नियतन एवं मानक शुल्क का निर्धारण के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3312 / टी–3 / रा0प0 / सं0 / शुल्क प्रतिपूर्ति / 2017, दिनांक 19.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशालय के पत्र दिनांक 10.06.2021 के अनुक्रम में दिनांक 30.06.2021 को जूम की बैठक में अध्यक्ष, प्रा0 आई0टी0आई0 वेलफेयर एसोसिएशन के पत्र दिनांक 30.06.2021 एवं अजीत यादव, प्रा0 आई0टी0आई0 एसोसिएशन के पत्र संख्या–21 / पीपीटी आईटी0आई–2021, दिनांक 06.07.2021 द्वारा पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानो के कोविड–19 महामारी के कारणवश वर्तमान सत्र–2021–22 में किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क की वृद्धि न की जाय। ताकि गरीब छात्रों पर अनावश्यक भार न पड़े। साथ ही प्रदेश में आच्छादित निजी संस्थानों ने आपसी सहमती से सत्र–2021–22 में फीस वृद्धि हेतु मानवीय संवेदना एवं बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए फीस वृद्धि न किये जाने के निर्णय का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्नगत प्रस्ताव पर शासन द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(डॉ0 संदीप परमार)
उपसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग
संख्या–97/2018/1536/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2018–26(टी)/2018
लखनऊ:दिनांक 24 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–71 /2018/1686/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0 वि0–2018–26(टी)/2018 दिनांक 11–05–2018 द्वारा प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क का नियमन एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। इस शासनादेश के प्रस्तर–4 के अन्तर्गत छात्रों से लिए जाने वाले मानक शुल्क का निर्धारण एक समिति एवं इसके अधीन गठित उप समिति के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0शासन एवं अन्य सदस्य सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन तथा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 हैं।

2– उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या–1795/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0 वि0–2018–26(टी)/2018, दिनांक 24–5–2018 द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानक शुल्क के निर्धारण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार कर मानक शुल्क के निर्धारण हेतु समिति की बैठक दिनांक 9–7–2018 को सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

3– समिति की संस्तुति के दृष्टिगत प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 18500.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए तथा नान–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 15,400.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है।

4– आगामी 03 वर्षों अर्थात 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 हेतु शुल्क का निर्धारण वर्ष 2021–22 में किया जायेगा।

5– उक्तानुसार निर्धारित किये गये मानक प्रशिक्षण शुल्क को एस0सी0वी0टी0 की वेबसाइट, प्रदेश के समाचार पत्रों तथा प्रत्येक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

6– जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रबन्धकों को उक्त निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य नहीं है तथा वे इससे इतर प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित कराना चाहते हैं तो इस हेतु वे अपने आय–व्यय विवरण तथा बैलेंसशीट व अन्य संगत अभिलेखों के साथ मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव समिति के विचारार्थ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ में प्रस्तुत करेंगे।

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
(2) अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०अलीगंज, लखनऊ।
(3) सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
(4) महानिदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(5) प्रधानाचार्य / प्रबन्धक समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक)
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० संदीप परमार)
अनुसचिव।